IV 534

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

25 NOV 2014

ONE

रु. 100 HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CK 623475



RAJEEV
Document
Meerut

ट्रस्ट–डीड

स्टाम्प शुल्क :– अंकन 750/– रूपये।

हम कि **श्री स्वतन्त्र सिंह चौहान पुत्र श्री गम्भीर सिंह चौहान निवासी 48, सोमदत्त विहार मेरठ शहर** हैं जिन्हें आगे व्यवस्थापक कहा गया है। व्यवस्थापकों की इच्छा समाज सेवा व शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने की है जिसके लिये व्यवस्थापकों ने यह ट्रस्ट स्थापित करने का निश्चय किया है।

विदित हो कि व्यवस्थापक धनराशि अंकन **10,000/– दस हजार रूपये** के एकमात्र स्वामी व अधिकारी हैं तथा शिक्षा के लिये कार्य व अन्य कार्य जिनका विवरण आगे दिया गया है, के लिये एक ट्रस्ट की स्थापना करना चाहते हैं और उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यवस्थापकों ने उक्त राशि अंकन **10,000/– दस हजार रूपये** को इस उद्देश्य से हस्तान्तरित कर दी है और दे दी है कि न्यासीगण उक्त राशि को आगे दी गयी शक्तियों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत बतौर न्यासीगण रखेंगे। उक्त न्यासीगण ने उक्त ट्रस्ट के प्रथम न्यारीगण होना स्वीकार किया है और इस विलेख का निष्पादन कर रहे हैं अतः व्यवस्थापक उपरोक्त इकरार करते हैं और घोषणा करते हैं कि :–

1. उक्त ट्रस्ट का नाम **श्री राजेन्द्र चौहान मैगोरियल ट्रस्ट, जनपद. मेरठ** होगा जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी कमवार होंगे :–

क्रय की दृष्टि से वर्ग (हिन्दी में)

क्रेता/क्रेता का नाम श्री राजेन्द्र कुमार मित्तल S/o श्री

पता हाल निवासी मकान

वाहन का प्रकार एवं मूल्य

एवं स्टाम्प लेने का प्रयोजन

स्टाम्प विक्रेता का नाम :- दीपक कुमार

लाईसेन्स संख्या/वर्ष RT-40/1993-94

विक्रय स्थल का नाम :- दीपक कुमार
कचहरी रोड

विक्रय का दिनांक हस्ताक्षर

27174 अ० स्टाम्प विक्रेता



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CK 623473

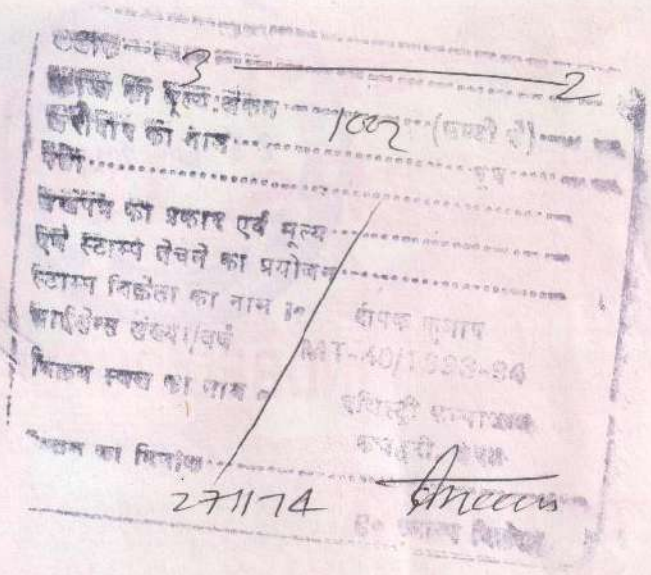
[2]

1. अध्यक्ष :– श्री गम्भीर सिंह चौहान पुत्र स्व0 श्री हाकिम सिंह चौहान
2. उपाध्यक्ष :– श्री राजेश चौहान पुत्र श्री गम्भीर सिंह चौहान
3. सचिव :– श्री स्वतन्त्र सिंह चौहान पुत्र श्री गम्भीर सिंह चौहान
4. उपसचिव :– श्री मनोज चौहान पुत्र श्री गम्भीर सिंह चौहान
5. कोषाध्यक्ष :– श्वेता तोमर पुत्री श्री हरपाल सिंह तोमर
6. आजीवन सदस्य :– गौरव कुमार पुत्र श्री अरूण कुमार सिंह व श्री मनोज कुमार पुत्र श्री इन्द्रपाल सिंह

2. यह कि उक्त ट्रस्ट का 48, सोमदत्त विहार मेरठ शहर पर होगा परन्तु न्यासीगण को अधिकार होगा कि वह उक्त ट्रस्ट का कार्यालय कहीं पर भी स्थानान्तरित कर सकते हैं।

3. यह कि ट्रस्टीगण उक्त राशि अंकन 10,000/–. रूपये तथा उक्त ट्रस्ट की समस्त सम्पत्ति जिसे आगे ट्रस्ट फण्ड कहा गया है जिसका तात्पर्य ट्रस्ट की सम्पत्ति, नगद राशि, निवेश, धन दान अथवा अनुदान से प्राप्त सम्पत्ति सावधि जमा अथवा चालू राशि जो उक्त ट्रस्टीगण को समय–समय पर प्राप्त हो, को धारण करेंगे तथा उक्त ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति को बतौर ट्रस्टीगण आगे दी गयी शक्तियों तथा कर्तव्यों का प्रयोग व अनुपालन करते हुये धारण करेंगे।

4. यह कि ट्रस्टीगण ट्रस्ट फण्ड तथा ट्रस्ट जिनकी पूंजी तथा अन्य चल व अचल सम्पत्तियों को शिक्षा संवर्धन के मुख्य कार्य तथा अन्य सामाजिक उत्थान के कार्य





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CK 623474

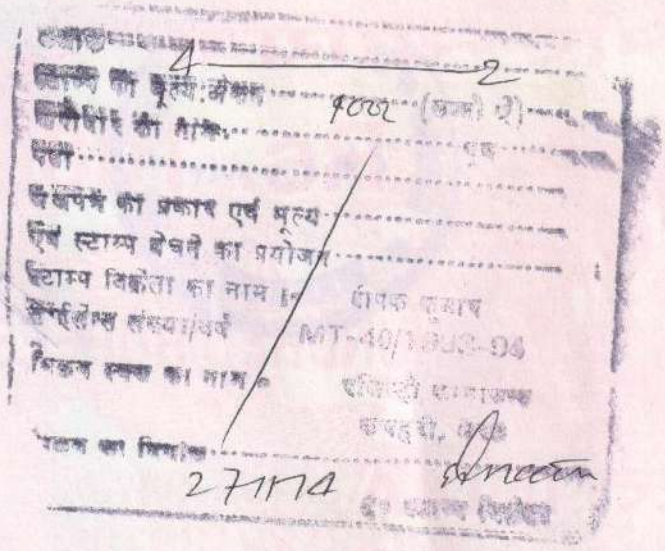
औषद्यालय तथा शिक्षण संस्थाओं व कार्यशालाओं की स्थापना एवं संचालन व व्यवस्था यात्री सेवा व सुविधा आदि के कार्य करने हेतु धारण करेंगे तथा न्यासीगण को समय–समय पर आवश्यकतानुसार न्यास के उद्देश्यों में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा।

5. यह कि ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये न्यासीगण समय–समय पर भूमि का ग्रहण, अधिग्रहण सरकारी, गैरसरकारी संस्थाओं, व्यक्तियों, संस्थाओं या विभागों से करने का पूर्ण अधिकार होगा।

6. यह कि उपरोक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त तथा उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ट्रस्टीगण ट्रस्ट फण्ड की आय को तथा उसके समस्त या किसी भाग को आगे दिये गये उद्देश्यों में से किसी एक या अनेक या समस्त और जितनी मात्रा में चाहे सर्वांगीण रूप से प्रयोग कर सकते हैं।

1. सभी प्रकार के डेन्टल कालिज, मेडिकल कालिज एवं अस्पताल, विश्वविद्यालय, इंस्टीट्यूट, कालेज, स्कूल, शैक्षिक केन्द्र आदि की स्थापना व संचालन समस्त भारतवर्ष व विदेश में करना।
2. इंजीनियरिंग कालिज की स्थापना व संचालन करना।
3. स्कूल कालिज व तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व संचालन करना।
4. शिक्षा के प्रचार व प्रसार हेतु सभी प्रयास करना।

Sharma


4
2
1000
271174

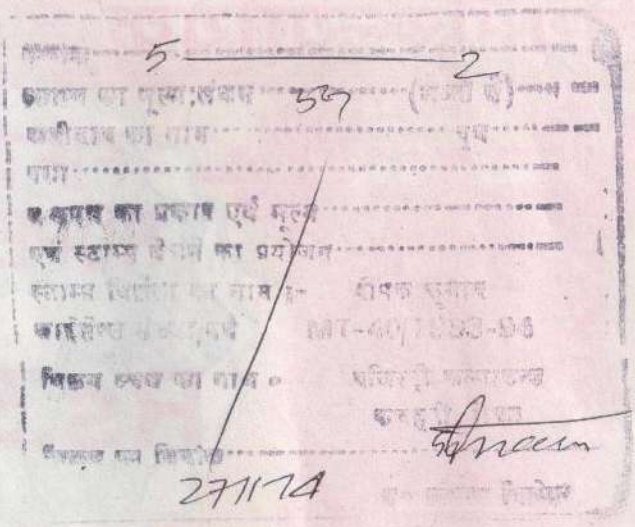


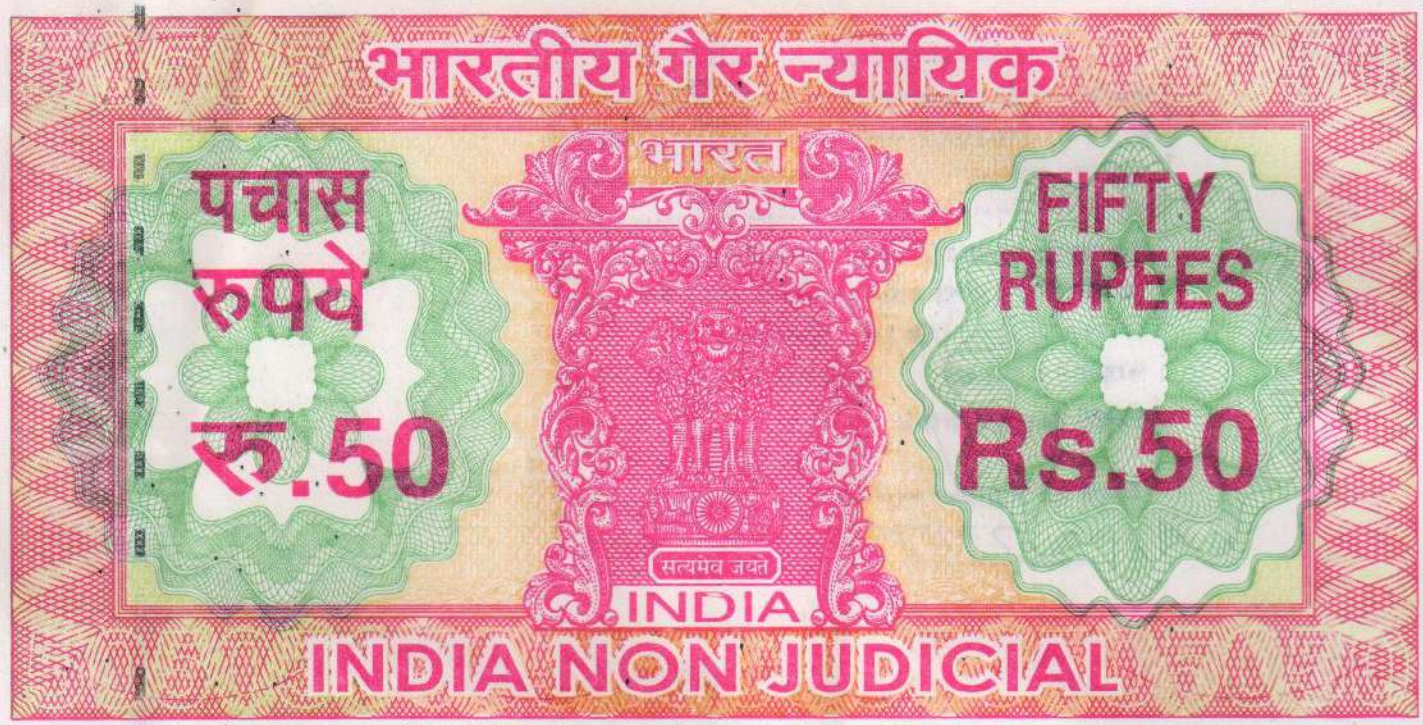
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 680263

5. जमीन, जायदाद आदि खरीदना, प्राप्त करना, उन्हें विक्रय करना तथा हस्तान्तरण करना।
6. समाज के सभी वर्गों के जरूरतमंदों के लिये छात्रवृत्ति, सहायता आदि क़ार्य करना।
7. अस्पताल, औषद्यालय, अनुसन्धानशालाओं एवं रसायन शालाओं का संचालन एवं स्थापना करना।
8. कृषि भूमि को क्रय करके उसको कृषि में प्रयोग करें, प्राकृतिक पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रखने हेतु कार्य करना। शहरों में पेड़ लगाना, जिससे प्रदूषण कम हो। खाली पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण करना ताकि पर्यावरण स्वच्छ रहे और आये के साधन बढ़ें और अवैध कब्जे भी न हो पायें।
9. निरीह प्राणियों, पशु एवं पक्षियों की चिकित्सा का प्रबन्ध करना एवं उनके लिये चिकित्सालयों की स्थापना व व्यवस्था करना।
10. स्कूल व कालिज में छात्र/छात्रओं को पर्यावरण के लिये जागृत करने हेतु कार्यक्रम चलाना।
11. शैक्षिक किताबों/पेपर का प्रकाशन कराना, लाईब्रेरी, रीडिंग रूम तथा होस्टल आदि की स्थापना एवं संचालन करना।
12. समस्त मानव मात्र के कल्याण के लिये कार्य करना।
13. निर्माण कार्य आदि करना।

Dharma





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 680264

[5]

14: ट्रस्ट की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सभी प्रकार के कार्य व प्रयत्न करना ताकि समाज़ व मानव जाति के कल्याणकारी कार्य सुचारू रूप से न्यास कर सकें।

15. वह सभी कार्य करना जिनके करने से समस्त व मानव जाति के लिये कल्याणकारी हो।

यह कि न्यास का कार्यक्षेत्र समस्त भारतवर्ष व विदेश होगा।

16. यह कि न्यासीगण को ट्रस्ट फण्ड की आय व उसके किसी भाग को जितने तथा जिस अवधि तक न्यासीगण चाहे जमा रखने तथा संचय की हुई आय को कालान्तर में किसी या किन्हीं भी समय ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये व्यय करने का पूर्ण अधिकार होगा।

17. यह कि न्यासीगण ट्रस्ट फण्ड या उसके किसी भाग अथवा भागों को किसी भी समय या अवसर पर जैसे कि ट्रस्टीगण उचित समझे उपरोक्त उनके कार्यों में से एक या अधिक पर व्यय कर सकते हैं।

18. यह कि फाउंडर ट्रस्टीगण अधिकार ट्रस्ट पर तथा ट्रस्ट की सम्पत्तियों पर होगा तथा फाउंडर ट्रस्टीगण की मृत्यु के बाद उनकी सन्तानों को अधिकार ट्रस्ट पर तथा ट्रस्ट की सम्पत्तियों पर होगा। किसी और व्यक्ति का किसी भी प्रकार का अधिकार ट्रस्ट पर ट्रस्ट की सम्पत्तियों पर या ट्रस्ट की सदस्यता पर नहीं होगा।

19. यह कि ट्रस्टीगण ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने हेतु अपने में से अध्यक्ष एवं सचिव नियुक्त करंगे तथा अध्यक्ष व सचिव ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने के लिये उपाध्यक्ष, उपसचिव व कोषाध्यक्ष नियुक्त करेंगे। अध्यक्ष व सचिव का कार्यकाल

6 2

27174



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 680265

जीवन पर्यन्त (Life Term) होगा तथा बाकी पदाधिकारियों का कार्यकाल अध्यक्ष व सचिव की इच्छा पर होगा।

20. यह कि **उक्त ट्रस्ट के प्रथम अध्यक्ष श्री गम्भीर सिंह चौहान पुत्र स्व0 श्री हाकिम सिंह चौहान व प्रथम सचिव श्री स्वतन्त्र सिंह चौहान पुत्र श्री गम्भीर सिंह चौहान निवासीगण 48, सोमदत्त विहार मेरठ शहर होंगे!**

21. यह कि पदाधिकारियों के निम्न कर्तव्य व दायित्व होंगे।

अध्यक्ष :– ट्रस्ट की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना, ट्रस्ट की बैठक समय से बुलाने व ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने के लिये सचिव को निर्देश व सहयोग प्रदान करना। ट्रस्ट के लिये ट्रस्ट के नाम से कानूनी कार्यवाही करना।

उपाध्यक्ष :– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के कार्य करना।

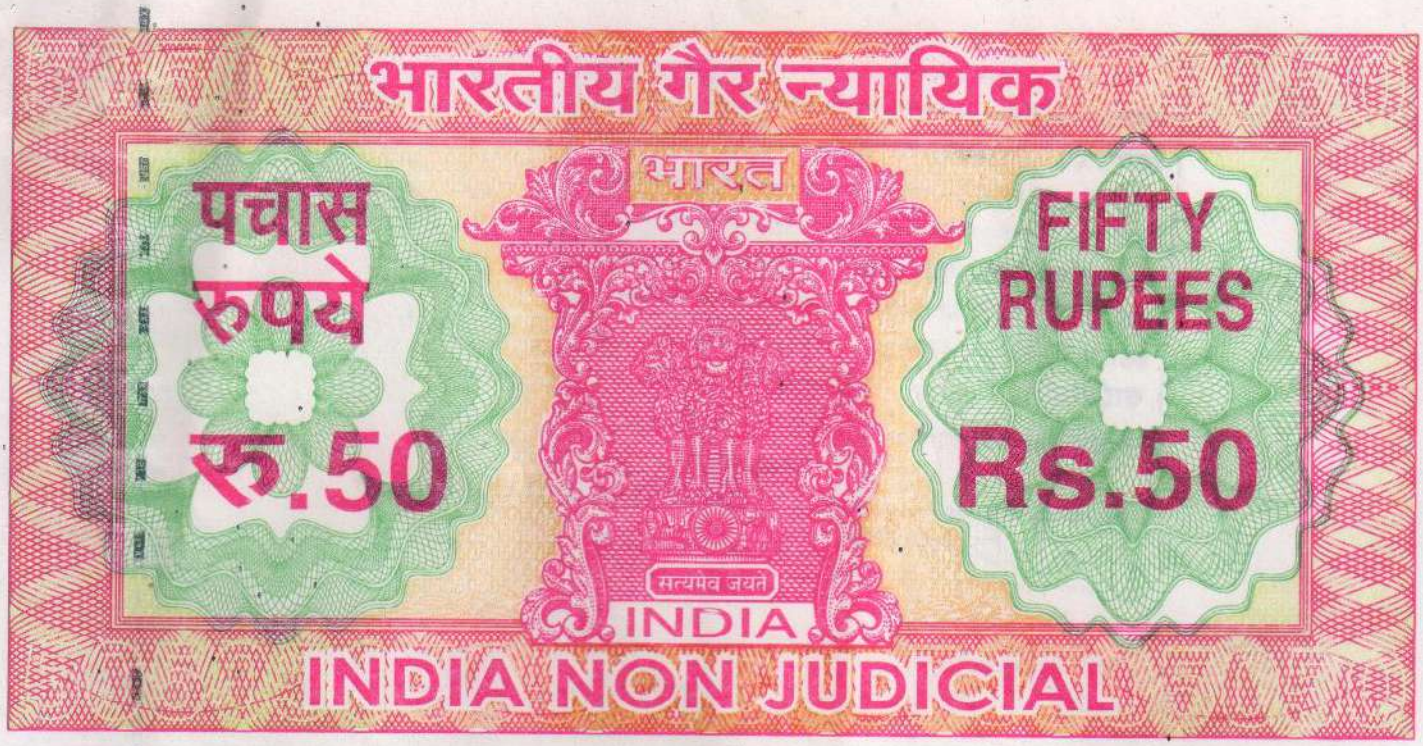
सचिव :– ट्रस्ट की बैठकों में पारित समस्त प्रस्तावों व आदेशों को कार्यरूप में परिणित करना। ट्रस्ट के दैनिक कार्यकलाप को सुचारू रूप से संचालित करना। सभी बैठकों को समयानुसार व अध्यक्ष के आदेशानुसार बुलाना तथा सभी बैठकों की कार्यवाही का पूर्ण रूप से विवरण बैठक कार्यवाही रजिस्टर में लिख अध्यक्ष से सत्यापित कराना। अगली बैठक के बुलाने की सूचना के साथ पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि के लिये उसकी नकल सभी ट्रस्टियों को भेजना। ट्रस्ट की समस्त आय व व्यय को सत्यापित कर कोषाध्यक्ष से अनुमोदित कराना। ट्रस्ट की सभी चल व अचल सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण रख उनकी सुरक्षा करना।

Sharma

7 ——— 2

50

27/12/24



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AY 680266

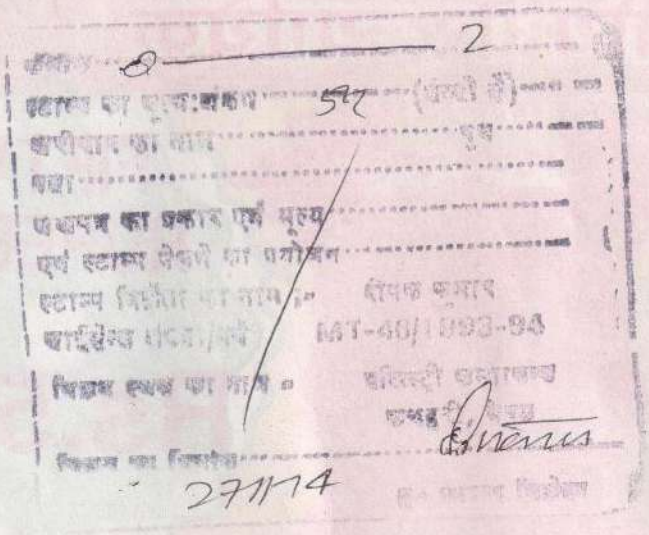
उपसचिव :– सचिव की अनुपस्थिति में सचिव के कार्य करना।

कोषाध्यक्ष :– ट्रस्ट के दैनिक आय व्यय का हिसाब रखना व उसका ऑडिट कराना। ट्रस्ट की समस्त व्यय जोकि सचिव द्वारा सत्यापित हो उनको अनुमोदित कर भुगतान करना। ट्रस्ट के नाम से सभी चालू खाते सावधि जमा खाते, सेविंग बैंक खाते, ओवर ड्राफ्ट खाते व सभी प्रकार के बैंकिग खाते का संचालन संयुक्त रूप से अध्यक्ष एवं सचिव के साथ करना।

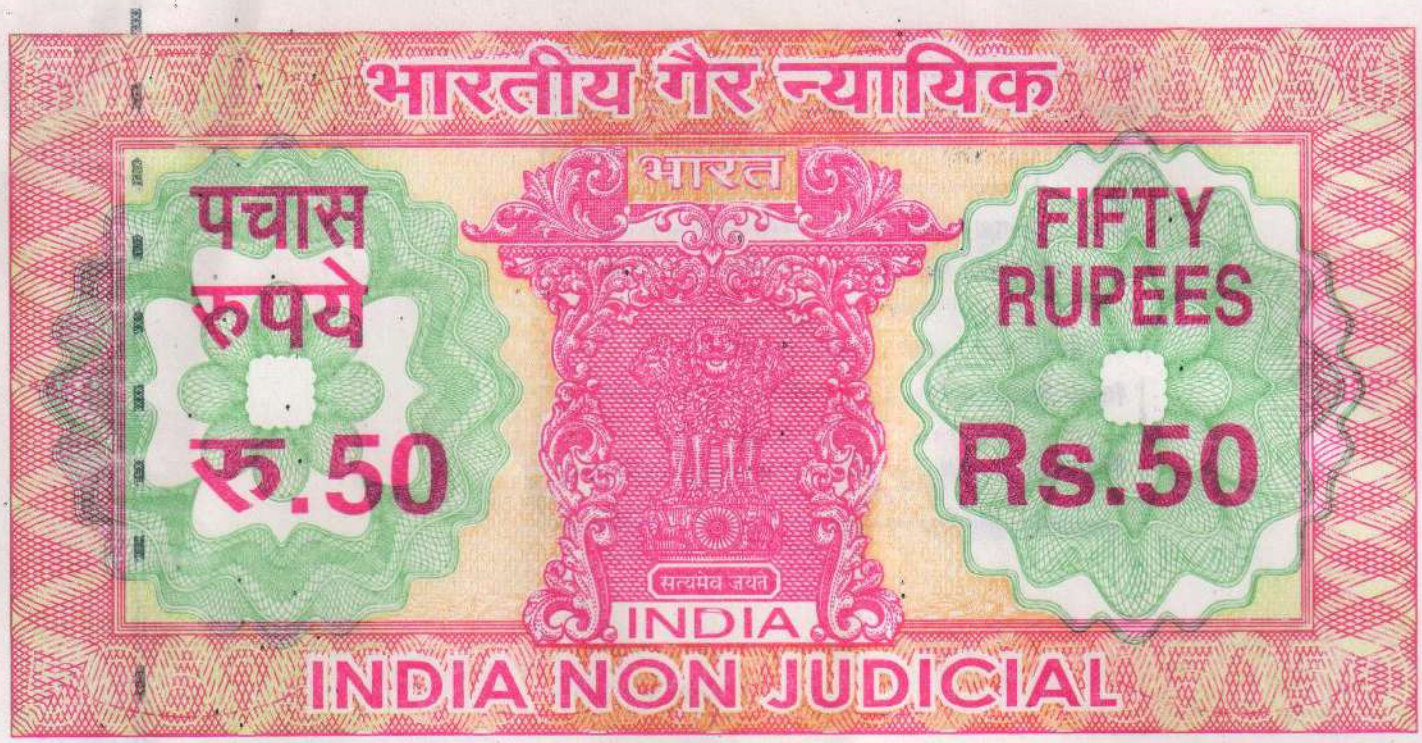
22. यह कि ट्रस्ट के सभी महत्वपूर्ण कार्य सहमति से अध्यक्ष व सचिव करेंगे।

23. यह कि ट्रस्टीगण समय–समय पर सामाजिक, धार्मिक व पारमार्थिक कार्यों के प्रबन्धन एवं संचालन हेतु अपने विवेक के अनुसार प्रबन्ध समिति जिसमें वे स्वयं या उनमें से एक या अधिक ट्रस्टी तथा अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार होगा एवं ट्रस्टीगण ऐसी प्रबन्धक समिति तथा उसके कार्यकाल नियम आदि बनाने का तथा ऐसी प्रबन्धक समिति को सम्बन्धित कार्यों उद्देश्यों के संचालन व पूर्ति के लिये जो अधिकार ट्रस्टीगण उचित समझ से प्रदान करने की शक्ति होगी। साधारणतः ट्रस्ट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव व कोषाध्यक्ष ही उक्त समस्त प्रबन्ध समितियों के क्रमशः अध्यक्ष उपाध्यक्ष, सचिव उपसचिव व कोषाध्यक्ष होंगे।

24. अध्यक्ष व सचिव की मृत्यु के बाद उनके बच्चे उक्त ट्रस्ट के अध्यक्ष व सचिव होंगे और ये सिलसिला आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा।


2
547
271174





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 680267

25. यह कि अध्यक्ष व सचिव को अन्य ट्रस्टी रखने व सदस्य बनाने तथा उनको हटाने का अधिकार होगा।

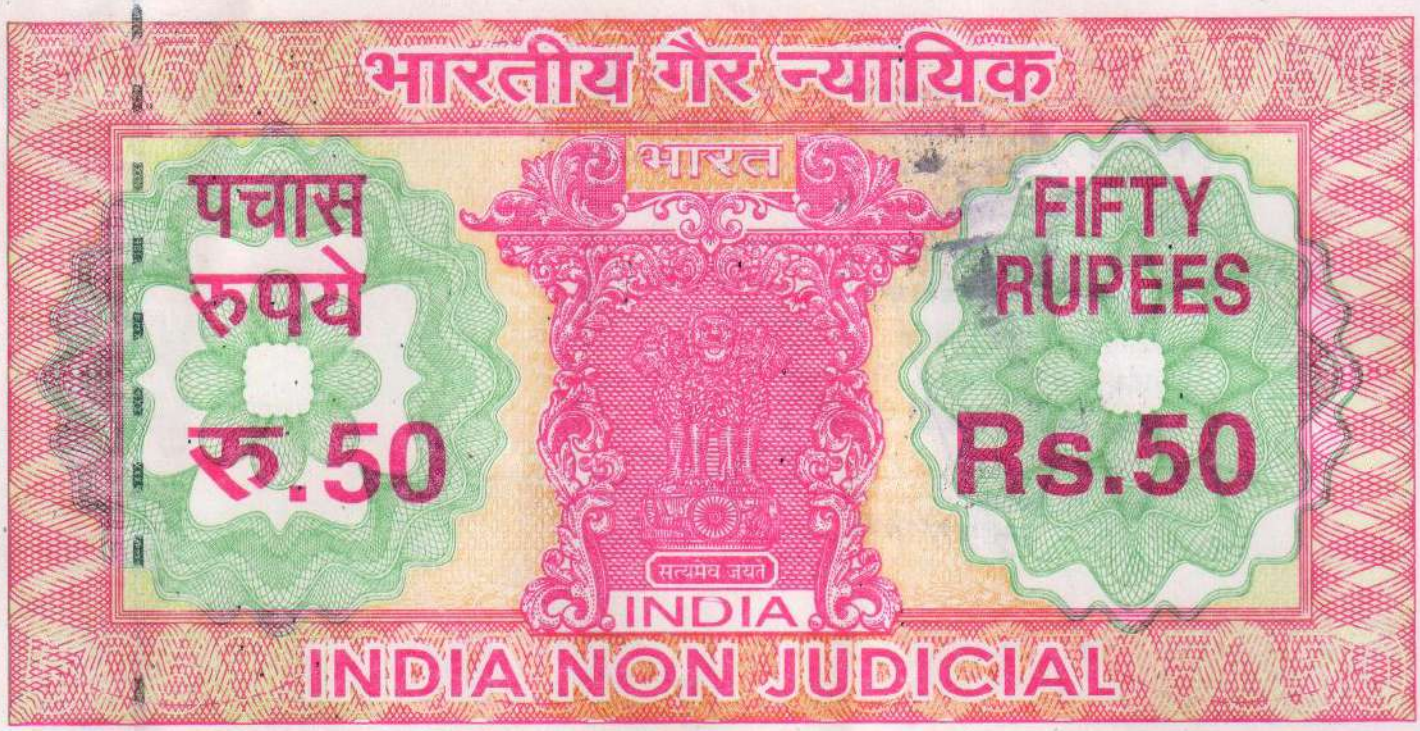
26. यह कि ट्रस्ट के नाम नियम एवं उद्देश्यों में परिवर्तन करने का अधिकार अध्यक्ष एवं सचिव को होगा।

27. यह कि ट्रस्ट की बैठक साल में कम से कम एक बार अवश्य होगी परन्तु किसी भी ट्रस्टी को **7 दिन** पूर्व अन्य ट्रस्टीगण को प्रस्तावित बैठक के विषय की सूचना देकर ट्रस्ट की बैठक बुलाने का अधिकार होगा और ट्रस्ट की बैठक साधारणतः ट्रस्ट कार्यालय में होगी परन्तु ट्रस्टीगण को अन्य स्थान पर जहां ट्रस्टीगण उचित समझें बैठक बुलाने का भी अधिकार होगा।

28. यह कि बैठक का कोरम किसी भी समय समस्त ट्रस्टीयों की संख्या का **1/3** अथवा किसी तीन ट्रस्टीयों को होगा यदि कोरम के अभाव में सभा स्थगित की जाती है तो स्थगित बैठक की तिथि समय व स्थान की समस्त ट्रस्टीगणों को डाक द्वारा सूचना प्रेषित करना आवश्यक होगा। स्थगित सभा भी कोरम पूरा किये बिना नहीं हो सकती।

29. यह कि ट्रस्टीगण को ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं को अपने तकनीकी कौशल के अनुसार ट्रस्टीगण व्यवसायिक सेवा के लिये उचित पारिश्रमिक व लाभ प्राप्त करने के अधिकारीहोंगे। अध्यक्ष व सचिव की मृत्यु के बाद इनकी सन्तान पारिश्रमिक व लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।





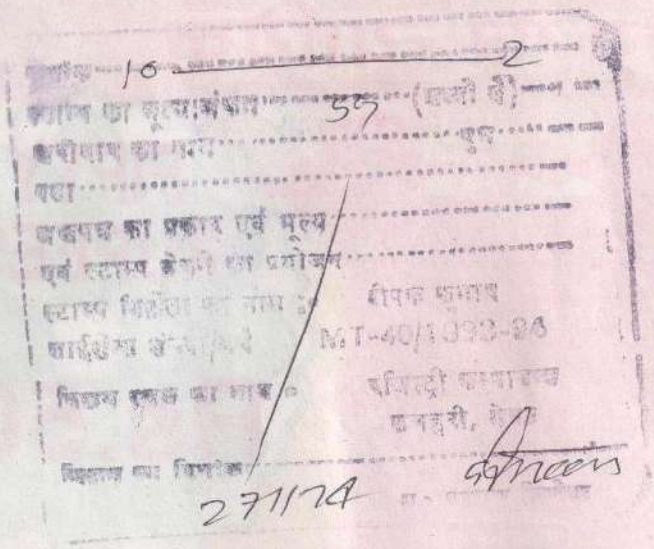
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 680268

30. यह कि सभी सम्बन्धित ट्रस्टी व्यक्तिगत रूप से केवल ट्रस्ट हेतु प्राप्त की गयी राशि सम्पत्ति व प्रतिभूतियों के लिये उत्तरदायी होंगे तथा केवल अपने द्वारा किये गये कार्य प्राप्ति, उपेक्षा अथवा चूक के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे परन्तु अन्य ट्रस्टीगण बैंकर, दलाल, एजेन्ट अथवा अन्य व्यक्ति जिनके हाथ में ट्रस्ट की राशि या प्रतिभूतियां आदि रखी गयी हैं और उनके द्वारा किये गये कार्य से किसी निवेश का मूल्य घटने अथवा ट्रस्ट को किसी भी प्रकार की हानि होने पर परन्तु व उनके द्वारा जानबूझकर की गयी चूक अथवा व्यक्तिगत कार्य के कारण ना हुआ हो तो ट्रस्टीगण उसके लिये व्यक्तिगत उत्तरदायी नहीं होंगे।

31. यह कि ट्रस्टीगण को ट्रस्ट तथा उसके उद्देश्यों से सम्बन्धित कार्य करने हेतु किसी भी ऐजेन्ट जिसमें बैंक भी शामिल हैं, को नियुक्त करने तथा उसे धनराशि अदा करने का तथा ट्रस्टीगण में निहित शक्तियों का प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार होगा।

32. यह कि ट्रस्टीगण के नाम से चालू खाता, सावधि जमा खाता, सेविंग बैंक खाता, ओवर ड्राफ्ट खाता व सभी प्रकार के बैंकिंग खाते किसी भी संस्था जो कि बैंकिंग का व्यवसाय करती हो में खोल और रख सकते हैं परन्तु सभी उक्त बैंकिंग एकाउन्ट्स खातों को संचालन तीन पदाधिकारियों के संचालन से होगा जिसमें अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध यक्ष होंगे।


10
2
(दस दो)
पता
दीपक कुमार
MT-40/1999-24
27/12/24



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 680269

33. यह कि ट्रस्टीगण ट्रस्ट की प्राप्ति व खर्चों का व ट्रस्ट फण्ड एवं सम्पत्तियों का सम्पूर्ण उचित तरीके से बाजाप्ता हिसाब रखेंगे और प्रतिवर्ष **31 मार्च** को समाप्त हाने वाले लेखा/आर्थिक वर्ष का वार्षिक आय व्यय का लेखा व आर्थिक चिट्ठा बनायेंगे जो कि सभी ट्रस्टीयों द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और इसके बाद चार्टड एकाउन्टेन्ट द्वारा ऑडिट कराया जायेगा।

34. यह कि ट्रस्टीगण को उक्त ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा आवश्यक होने पर अन्य व्यक्तियों, संस्था अथवा किसी अधिकारी अथवा किसी अन्य के सहयोग से समस्त विधिवत कार्य करने का पूर्ण अधिकार होगा।

35. यह कि ट्रस्टीगण ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कहीं भी चल व अचल सम्पत्ति किन्हीं भी शर्तों पर जो ट्रस्टीगण निश्चित करेंगे तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत न हों को प्राप्त करने व धारण करने चाहे पूर्ण स्वामित्व में हो या लीज पर या किराये पर या किसी और अन्य तरीके से प्राप्त करने तथा विक्रय करने, किराये पर देने हस्तान्तरण करने या अन्य प्रकार से अधिकार त्यागने का पूर्ण अधिकार होगा परन्तु ट्रस्टीगण को ट्रस्ट के नाम से तथा उद्देश्यों से रिक्त होने का अधिकार नहीं होगा।

36. यह कि ट्रस्ट फण्ड में सम्मिलित किसी राशि, सम्पत्तियों या आस्तियों या उनके किसी भाग को एक साथ अथवा खण्डों में सार्वजनिक नीलाम अथवा प्राईवेट संविदा द्वारा सशर्त अथवा बिना शर्त विक्रय करना, क्रय करना किसी विक्रय अथवा पुनतः विक्रय की संवदिा में परिवर्तन करने अथवा तिखण्डित करने का अधिकार अध्यक्ष/सचिव का होगा और ट्रस्टीगण उसमें हुई किसी हानि के जिम्मेदार नहीं होंगे।

11 2

2 7 1 1 74 यास पत्र

10,000.00	100.00	20	120.00	1,000
न्यास की राशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री स्वतन्त्र सिंह चौहान
पुत्र श्री गम्भीर सिंह चौहान
व्यवसाय
निवासी स्थायी 48 सोमदत्त विहार मेरठ/ डी एल
अस्थायी पता



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 28/11/2014 समय 2:20PM
बजे निवन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उप निबन्धक प्रथम,
मेरठ (प्रथम)।
28/11/2014

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून
न्यासी

श्री स्वतन्त्र सिंह चौहान
पुत्र श्री गम्भीर सिंह चौहान
पेशा
निवासी 48 सोमदत्त विहार मेरठ/ डी एल



ने निष्पादन स्वीकार किया।
जिनकी पहचान श्री राजीव ऐरन व न0 मेरठ
-
पेशा दस्तावेज लेखक
निवासी -
व श्री सन्नी रस्तौगी
पुत्र श्री विजय कुमार रस्तौगी
पेशा अन्य
निवासी बुढाना गेट मेरठ
ने की।



प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उप निबन्धक प्रथम,
मेरठ (प्रथम)।
28/11/2014



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 680270

37. यह कि सचिव को ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये समय–समय पर उधार/ऋण लेने का पूर्ण अधिकार होगा। ट्रस्टीगण को ट्रस्ट की सम्पत्तियों को बंधक रख कर ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये उधार/ऋण/बैंक गारन्टी लेने का पूर्ण अधिकार होगा। इन सभी कार्यों को करने का अधिकार सचिव को होगा।

38. यह कि सचिव को ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये ट्रस्ट की सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों को किराये पर देने व भारतवर्ष में कहीं भी सम्पत्ति को क्रय व विक्रय करने व सभी प्रकार के शेयरों, ऋण पत्रों व अन्य प्रतिभूतियों में निंवेश करने का पूर्ण अधिकार होगा।

39. यह कि एतद्द्वारा संस्थापित किया गया ट्रस्ट प्रतिसंहरणीय होगा, परन्तु यदि किसी कारणवश से ट्रस्टीगण उक्त ट्रस्ट का संचालन करने में असमर्थ हों तो ट्रस्ट की सभी सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों को निस्तारण कर ट्रस्ट की सभी देनदारियों का भुगतान करने के पश्चात भी लाभ या हानि होगी वह ट्रस्टीगण द्वारा वहन किया जायेगा।

न्यासी

Registration No.: 534 Year: 2014 Book No. : 4

0101 स्वतन्त्र सिंह चौहान

गम्भीर सिंह चौहान

48 सोमदत्त विहार मेरठ/ डी एल







उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 680271

[12]

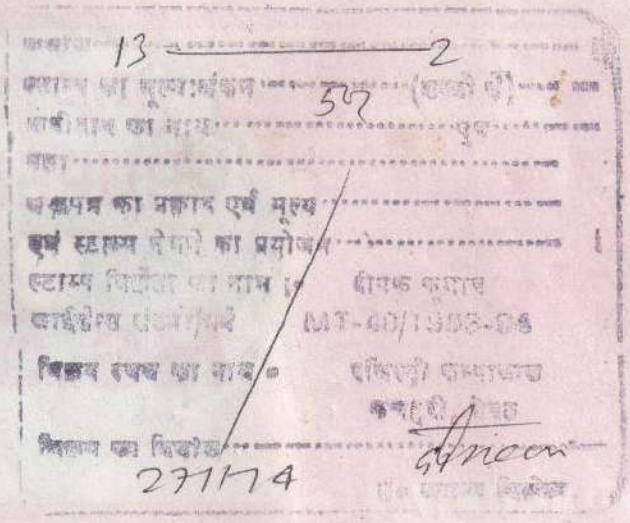
उपरोक्त के साक्ष्य स्वरूप व्यवस्थापक **श्री स्वतन्त्र सिंह चौहान पुत्र श्री गंम्भीर सिंह चौहान निवासी 48, सोमदत्त विहार मेरठ शहर** ने अपने हस्ताक्षर करके यह ट्रस्ट डीड रजिस्ट्री करायी है।

Sunny Rastogi
S/o Shri Vijay Kumar Rastogi
R/o Bhudana Gate
Meerut

C Rajeev Area
D.W.
Meerut

दिनांक :– 28–11–2014ई0 मसविदा श्री राजीव ऐरन दस्तावेज लेखक मेरठ।

D.W.
RAJEEV AREA
Document Writer
Meerut



आज दिनांक **28/11/2014** को

वही सं. **4** जिल्द सं. **465**

पृष्ठ सं. **207** से **230** पर कमांक **534**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उप निबन्धक प्रथम,
मेरठ (प्रथम)।
28/11/2014

श्री राजेन्द्र चौहान मैमोरियल ट्रस्ट (रजि०) मेरठ

पत्रांक दिनांक १६-१२-२०१९.....

आज **दिनांक १६-१२-२०११ को प्रातः ११ बजे** श्री राजेंद्र सिंह चौहान मैमोरियल ट्रस्ट की सभा आरम्भ की गयी तथा सभा में कुछ नए सदस्यों **(श्री भीकम सिंह चौहान, श्री गजेंद्र सिंह चौहान, श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह चौहान, और श्रीमती निधि सिंह)** का प्रार्थना पत्र अलग -अलग पदों के लिए प्राप्त हुआ। सभा में सर्वसम्मति से उक्त सदस्यों को ट्रस्ट में अलग - अलग पदों पर मनोनीत किया गया। सभी उक्त सदस्यों को विधिवत रूप से शपथ ग्रहण कराई कि वह ट्रस्ट के समस्त कार्यो को पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से ट्रस्ट के हितो को ध्यान में रखकर करेंगे तथा वही कार्य करेंगे जिसमे ट्रस्ट का हित होगा। शपथ के बाद प्रत्येक सदस्य अपने -अपने पदों पर पद कि गरिमा को ध्यान में रखते हुए ट्रस्ट के कार्यो में पूर्ण सहयोग करेगा। ऐसा न करने पर ट्रस्ट को उक्त सदस्य को उसके पद से हटाने का पूर्ण अधिकार होगा तथा आज की सभा में सभी सदस्यों ने आज की कार्यवाही पर अपने - अपने हस्ताक्षर करके सभा को समाप्त किया और यह भी तय हुआ की ट्रस्ट के सभी पूर्वनिर्धारित उद्देश्य व नियम पूर्व की भांति ही रहेंगे।

नए सदस्यों सहित ट्रस्ट के सदस्यों की सूची इस प्रकार है :-

१. अध्यक्ष:-	श्री गंभीर सिंह चौहान	
२. उपाध्यक्ष:-	श्री भीकम सिंह चौहान	
३. सचिव:-	श्री स्वतंत्र सिंह चौहान	
४. उप सचिव:-	श्री गजेंद्र सिंह पुंडीर	
५. कोषाध्यक्ष:-	श्रीमती स्वेता तोमर	
६. आजीवन सदस्य:-	१. श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह चौहान	
	२. श्रीमती निधि सिंह	

हस्ताक्षर
मुख्य न्यासी

सचिव
श्री राजेन्द्र चौहान मैमोरियल ट्रस्ट
मेरठ

पता : 48, सोमदत्त विहार, गढ़ रोड़, मेरठ। मो० : 9411027250